ग्राहकों के लिए सूचना

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आईडीबीआई बैंक अगस्त 2011 से ग्राहकों को "सीटीएस 2010 मानक " वाले चेक उपलब्ध कराँ रहा है। सीटीएस मानक से युक्त एक मॉडल चेक नीचे दिया गया है।

रिजर्व बैंक ने 18 मार्च, 2013 के अपने परिपत्र के जरिए बैंकों को सूचित किया है कि गैर-सीटीएस 2010 मानक वाले चेकों को 31 जुलाई, 2013 से पहले संचलन से हटा लें। कृपया नोट किया जाए कि 31 जुलाई, 2013 के बाद गैर-सीटीएस 2010 चेक समाशोधन में स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

ग्राहकों से अनुरोध है कि वे अपने पास शेष चेक पन्नों की जांच कर लें और यदि वे सीटीएस फॉर्मेट में न हों तो वे नई चेकबुक के लिए अपनी मांग-पर्ची प्रस्तुत करें।


For Information of Customers

As per RBI guidelines IDBI Bank has been providing cheque leaves to the customers with "CTS 2010 standards" from August 2011. A model cheque leave with CTS standard is given below.

RBI vide its circular dated March 18, 2013 has advised Banks to withdraw non-CTS 2010 standard cheques in circulation before July 31, 2013. It may please be noted that Non CTS-2010 cheque may not be accepted in clearing after July 31, 2013.

The customers are requested to check the cheque leaves in their possession and if they are not in the CTS format they may submit their requisition for new cheque book.

सीटीएस-2010 मानक चेक का नमूना Sample of CTS-2010 standard cheque leaf



सीटीएस-2010 मानक चेकों की कुछ प्रमुख विशेषताएं

- 1. ऊपर बायीं ओर (बैंक के लोगों के नीचे) शाखा का पता
- 2 "राशि अंकों में" कॉलम में '₹' का प्रतीक
- 3 बायीं ओर खाता संख्या के नीचे रंगीत आयत (पैंटोग्राफी)

Some salient features of CTS-2010 standard cheque leaves

- 1. Branch address at top left hand side (below Bank's logo)
- 2. Symbol of '₹' in "amount in figures" column
- 3. Coloured rectangle (Pantography) below account number

